विश्व बैंक

संपर्क: *दिल्ली में:* गीजांजलि चोपड़ा (91 11) 2461-7241
ईमेल: gchopra@worldbank.org
वाशिंगटन में : करीना मानेसहा (202) 473-1729
ईमेल : kmanasseh@worldbank.org

विश्व बैंक ने असम में कृषि विकास को सहायता प्रदान की

परियोजना से पूर्वोत्तर भारतीय राज्य लाभान्वित होंगे

वाशिंगटन, 14 दिसंबर, 2004 -- आज विश्व बैंक ने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित असम सरकार द्वारा अपने कृषि क्षेत्र में उपज को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए 154 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। यह ऋण मूलतः छोटे तथा सीमांत भूमि धारकों, मछली पकड़ने वाले गरीब समुदाय तथा भूमिहीन पर केंद्रित मुख्यतः गरीब हितैषी गतिविधियों के माध्यम से असम के कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए प्रदान किया गया है। इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं से इस राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण समुदाय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।

असम में 85 प्रतिशत से अधिक गरीब जनता ग्रामीण इलाकों में निवास करती है ; और इस राज्य बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में दुगुनी है। कृषि में प्रभुत्व रखने वाला पहलू ब्रह्मपुत्र तथा बरक घाटी में मानसून पर निर्भर चावल उत्पादन व्यवस्था है जिसका बुवाई क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत का हिस्सा है। हाल के वर्षों में इस राज्य में कृषि विकास अनेक अंतर्निहित कारणों से निश्चल है जिसमें सिंचाई तथा खेती के मशीनीकरण में निवेश करने के लिए किसानों के पास पूंजी का अभाव, अपर्याप्त विस्तार सेवाएं तथा प्रभावी विपणन संपर्क ; मवेशियों की कम उत्पादकता ; और संचार तथा सामान एवं व्यापार के संचलन को बाधित करने वाला एक अविकसित ग्रामीण सड़क नेटवर्क शामिल हैं।

विश्व बैंक के एक वरिष्ठ कृषिविज्ञानी **रॉबर्ट एप्वर्थ** के शब्दों में "*असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना से किसानों तथा सामुदायिक समूहों की उत्पादकता में सुधार होगा तथा बाजार अवसरों तक उनकी पहुंच में वृद्धि होगी। विशिष्ट परियोजना गतिविधियों के माध्यम से किसान तथा भूमिहीन समूह फसल, मत्स्यन तथा मवेशी उत्पादों की अधिक उपज, तथा अपनी उपज के उस अनुपात में वृद्धि से लाभान्वित होंगे जिसका उचित मूल्यों पर बाज़ार में विक्रय किया जा सकता है।*"

परियोजना की गतिविधियों को तीन घटकों में समूहन किया जाएगा :

(i) *निवेश अनुदान योजना :* छोटे किसानों द्वारा सिंचाई, खेती के मशीनीकरण तथा मछली के तालाबों में आय सृजक खेती निवेशों ; तथा सूक्ष्म जलनिकासी प्रणालियों एवं खुले जलाशय मत्स्यन में सामुदायिक निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए ;

(ii) *कृषि सेवाएं तथा बाज़ार श्रृंखला विकास :* निजी क्षेत्र की उपयुक्त सहभागिता के साथ विकेंद्रीकृत अनुसंधान एवं विस्तार तंत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए ; मवेशियों तथा मत्स्यन की उत्पादकता क्षमता का उन्नयन करने के लिए ; किसानों के बाज़ार संबंधी ज्ञान को सुदृढ़ बनाने तथा बाज़ार के साथ मजबूत संपर्क रखने वाले उत्पादक संगठनों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ;

(iii) *अवसंरचना विकास :* लगभग 2000 किलोमीटर के ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन और/या पुनर्स्थापन तथा 70 से अधिक ग्रामीण थोक एवं खुदरा बाज़ारों के उन्नयन एवं विस्तार के लिए।

यह परियोजना हाल ही में संपन्न हुई असम ग्रामीण अवसंरचना एवं कृषि सेवाएं परियोजना के अनुसरण करती है जिसे विश्व बैंक ने 1995 में शुरू किया था और उसके लिए वित्त व्यवस्था की थी।

भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर **माइकल कार्टर** का कहना है, *"यह परियोजना खेतों की उपज तथा परिवारिक आय में वृद्धि करके गरीबी कम करने के भारत के विकास लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देगी। इसके अलावा, यह परियोजना सर्वनिष्ठ संसाधनों तक समुदायों की पहुंच को सुसाध्य बनाएगी, अवसंरचना का उन्नयन करेगी तथा बाज़ार एवं समाज कल्याण सेवाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच में सुधार लाएगी।"*

प्रस्तावित परियोजना विश्व बैंक की 2004 की कंट्री सहायता नीति का समर्थन करती है जिसमें सरकारी कुशलता में सुधार करने, विकेंद्रीकृत सेवाओं को बढ़ावा देने, समुदाय–प्रेरित विकास रीतियों को सहायता प्रदान करने तथा सड़क अनुरक्षण पर खर्च को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यह समुदायों में निवेश करने एवं उनके सशक्तीकरण और निजी क्षेत्र की अगुवाई में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य का भी समर्थन करती है। विश्व बैंक की रियायती घटक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के ऋण 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार, 10 वर्ष की छूट अवधि तथा 35 वर्ष की परिपक्वता शामिल है।

कृपया भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों की अधिक जानकारी के लिए निम्न एड्रेस पर संपर्क करें :
http://www.worldbank.org/in